परिशिष्ट - 18.2

VAN BIBHAG
MISCELLANEOUS
FEBRUARY 10, 1960.

No.1155/XIV -331-50-Whereas the Government , Uttar Pradesh is of the opinion that making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act .No.XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, The Government of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the schedule hereto.

SCHEDULE

District	S. No	Name of road	Mile to be declared as Reserved or protected Forest						Description of Boundary
			M.	Fg.	Ft	M.	Fg.	Ft.	
1	2	3		4			5		6
1. Meerut	1.	Meerut, Baghpat road	3	0	0	31	2	0	The boundary
	2	Baghpat - Saharanpur	1	0	0	24	2	0	of the land
	3.	Baraut- Chapruali	1	0	0	9	0	0	has been
	4.	Baghpat-Loni Shadra	0	0	0	17	2	250	demarcated
	5.	Meerut- Mawana	2	0	0	17	0	0	on the ground
	6.	Meerut- Bulandshahr	2	0	0	29	0	0	by stone
	7.	D.R.M.Road.	41	0	0	55	0	0	pillars.
	8.	G.T.Road	870	0	0	873	0	0	
	9.	Begamabad-Basatikri	1	0	0	6	0	0	
	10.	Morad nagar Railway Feeder.	0	0	0	0	2	106	
	11.	Modinagar Railway Feeder.	0	0	0	0	0	640	-do-
	12.	Mohiddenpur Railway Feeder	0	0	0	0	4	10	-do-

Executive Engineer
N.H Division PWD Etawah

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा

1	2	3	4			5			6
		19. Agra-Aligarh provincial road	1	0	0	13	0	0	-do-
14. Farru-	1.	Barelly - Eetawah	62	5	495	98	6	397	-do-
khabad	2.	fatehgarh - Farrukhabad road	0	6	630	3	1	0	-do-
	3.	Fatehgarh - Kanpur road	0	1	196	19	7	440	-do-
	4.	G.T. road	663	0	0	711	4	30	-do-
	5.	Chibramau - Sunkihi Bidhuna road	0	0	0	19	9	220	-do-
	6.	Tirwala Bela road	0	0	0	10	4	585	-do-
	7.	Kannauj - Tirwa road	0	0	0	11	2	60	-do-
	8.	Farrukhabad-Kaimganj Kampli road	4	6	620	28	4	165	-do-
15. Etawah	1.	Agra -Etawah - Fatehpur road	59	0	0	119	0	0	-do-
	2.	Barelly -Etawah road P.-way	114	0	0	136	0	0	-do-
	3.	Etawah -Gwalior road P.H. way	0	0	0	7	6	296	-do-
	4.	Dibiyapur- Auriaya road	0	0	0	12	4	360	-do-
	5.	Dibiapur- rly. feeder road	0	0	0	1	0	320	-do-
	6.	Dibiapur -Bela road	0	0	0	17	3	40	-do-
	7.	Bidhuna -Bela road P.H. Way	0	0	0	9	7	0	-do-
	8.	Bidhuna -Kisni road	0	0	0	22	6	40	-do-
	9.	Auraiya -Shergarh road (local road)	12	4	360	15	3	330	-do-
	10.	Etawah - Mainpuri	0	0	0	14	0	0	-do-
	11.	Bakewar -Bharthana road							

छायाप्रति प्रमाणित
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इटावा

Executive Engineer
N.H Division PWD Etawah

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS.

July 14 ,1951.

No. 2502/XIV-401-431 :- In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act (XIV of 1957), the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that it is proposed to constitute the land shown in the sub-joined schedules Reserved Forest.

Under sub-section (C) of section 4 of the said act, the Sub-Divisional Officer of the Sub-Divisional in which the lands are situated are hereby appointed to the Forest Settlement Officer in respect of the areas under their respective jurisdiction and under section 17 of the said act, the Additional Commissioner of Allahabad, Division is empowered to hear appeals from the orders of the said Forest Settlement Officers.

SCHEDULE

t	Tahsil.	Mauza.	Name of Block.	Area in acres.	Discription of Boundary.
2	3	4	5	6	
nh.	Etawah.	Kameth-Bhagwatipur Anglo-Kachhar.	Kameth.	863.98	North:-Fields are ravi of Bhagwatipur Kameth village the Yamuna riv South:-Fields of Bhag -pur and Kameth -age. East:-Etawah ,Gwalior road Kameth vil and its fields. West:-Boundery of Bho village.

TRUE COPY

By order,

SECRETARY.

Executive Engineer
N.H Division PWD Etawah

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा

भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ६ के अन्तर्गत की गई घोषणा

वि० स० ४१३४/१८-ए-६(७६)

भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ४ के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ..... दिनांक २.११.१९५८ द्वारा घोषित किया कि निम्नलिखित अनुसूची में दी हुई जिले में स्थित भूमि को आरक्षित वन बनाया जाय। निर्णय किया है। अतः भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ६ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि नीचे लिखी भूमि के आरक्षित वन बन जाने से यह परिणाम होगा कि वन विभाग की आज्ञा या अनुमति बिना नीचे लिखे कार्य इस क्षेत्र में नहीं किये जा सकते :—

(१) किसी भूमि पर अधिकार करना।
(२) आग लगाना ले-जाना या जलाना।
(३) पशुओं को उस पर छोड़ना या चराना।
(४) द्रुम पतन (काटना), वृक्षों के पत्ते काटना, वृक्षों का चिरान करना, जलाना आदि या उनको छाल उतारना।
(५) पत्थर खोदना, चूना या कोयला जलाना आदि।
(६) भूमि तोड़ना या सफाई करके खेती योग्य बनाना।
(७) अवैध शिकार करना, मछली मारना, पानी में जहर डालना।
(८) हाथी मारना या पकड़ना आदि।

इन कार्यों के करने वाले व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा २६ (१) (ए) (जे) के अधीन दण्डित किया जा सकता है।

सर्व साधारण को यह भी सूचना दी जाती है कि जो व्यक्ति भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ४ और ५ में वर्णित किसी अधिकार पर अपना दावा समझता है तो वन बन्दोबस्त अधिकारी इटावा इटावा के सामने इस विज्ञप्ति की तारीख से ३ माह के अन्दर उपस्थित हो और अपना दावा प्रस्तुत करे या अपना आक्षेप लिखित रूप में करे। निर्धारित अवधि के अन्दर कोई दावा प्रस्तुत न होने पर यह समझा जायगा कि निम्नलिखित खसरा नम्बर का प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट को सुरक्षित घोषित किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	परगना व तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं०	अनुमानित क्षेत्रफल एकड़ या वर्ग मील	सीमा विवरण	विशेष सूचना
इटावा	इटावा	कोंच					
				१४०	०-६५	उत्तर — भुमरैई भूमि ग्राम	
				१४१	०-२६	पूर्व —	
				१४२	०-६४	दक्षिण — भुताई भूमि ग्राम	
				१४४	१-३६	पश्चिम —	
				१४६	८-१४		
				१४८	१-३५		
				३३६/३	१-६०		
				३३६/४	३-०२		
				३३६/१	३-२५		
				३६१	६-१४		
				३४१/८	८-३५		
				३८६	६-२६		
				३६३	६-६६		
				३६४	१६-६६		
				३६६/२	२-६६		
				४१४	०-०६		
				४१६	२०-५२		
				४२१	१-०७		
				४२६	४-६०		

वन बन्दोबस्त अधिकारी

Executive Engineer
N.H Division PWD Etawah

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इटावा

भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ६ के अन्तर्गत की गई घोषणा

(247)

भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ४ के आधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ...२२०२/१४-५७-५८ दिनांक ...१४-७-५९..... द्वारा घोषित किया कि निम्नलिखित अनुसूची में दी हुई जिले में स्थित भूमि को आरक्षित वन बनाना निर्णय किया है। अतः भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ६ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि नीचे लिखी भूमि के आरक्षित वन बन जाने से यह परिणाम होगा कि वन विभाग की आज्ञा या अनुमति बिना नीचे लिखे कार्य इस क्षेत्र में नहीं किये जा सकते :—

(१) किसी भूमि पर अधिकार करना।
(२) आग लगाना, ले जाना या घसीटना।
(३) पशुओं को उस पर छोड़ना या चराना।
(४) वृक्ष पतन (काटना), वृक्षों के पत्ते काटना, वृक्षों का घिरान करना, जलाना आदि या उनकी छाल उतारना।
(५) पत्थर खोदना, चूना या कोयला जलाना आदि।
(६) भूमि तोड़ना या सफाई करके खेती योग्य बनाना।
(७) अवैध शिकार करना, मछली मारना, पानी में जहर डालना।
(८) हाथी मारना या पकड़ना आदि

इन कार्यों के करने वाले व्यक्ति को भारतीय अधिनियम १९२७ की धारा २६ (१) (ए) (जे) के आधीन दण्डित किया जा सकता है।

सर्व साधारण को यह भी सूचना दी जाती है कि जो व्यक्ति भारतीय अधिनियम १९२७ की धारा ४ और ६ के अन्तर्गत किसी अधिकार पर अपना दावा समझता है तो वन बन्दोबस्त अधिकारी ..... आगरा ..... जिलान्तर्गत आगरा ..... के सामने इस विज्ञप्ति की तारीख से ..... तीन ..... माह के अन्दर उपस्थित हो और अपना दावा प्रस्तुत करे या अपना दावा लिखित रूप में भेजे।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	परगना व तहसील	गांव व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	अनुमानित क्षेत्रफल एकड़ या बीघे में	सीमा विवरण	विशेष सूचना
३९	इटावा	इटावा	ग्राम कामेत, भगवतीपुर भगवा-कलार।	८४३, ९८ एवम् ।		उत्तर- ग्राम भगवतीपुर के खेत तथा गड्ढे और जमुना नदी।	
	खसरा नम्बर		पैमाइश			दक्षिण- ग्राम भगवतीपुर के खेत और जमुना नदी।	
	४४९		१५-९७ ✓ ४७६	०-७७ ✓		पूर्व- ग्राम कामेत तथा खेत और इटावा ग्वालियर रोड।	
	४५०		२९-३७ ✓ ४७७	१९-९७ ✓			
	४५९		९५-८७ ✓ ४७८	१०-४३ ✓		पश्चिम- सीमा ग्राम पौरी।	
	४५२		१२-५३ ✓ १००९	२-४८ ✓	१०१२	६-६५ ✓	
	४५३		२९-६० ✓ १००२	१०-६० ✓	१०१३	५-८० ✓	
	४५४		३८-०० ✓ १००३/१	६-८६ ✓	१०१४	६-७४ ✓	
	४५५		२३-८० ✓ १००५	८-०६ ✓	१०१५	६-६० ✓	
	४७०/१		२५-३० ✓ १००५	४-८५ ✓	१०१६	७-८४ ✓	
	४७१/१		३१-४३ ✓ १००६	१४-८६ ✓	२१८६	६-६० ✓	
	४७२		२४-५७ ✓ १००७	७-१६ ✓	२१८७	६-१७ ✓	
	४७३		२३-३२ ✓ १००६	५-०० ✓	२१८८	७-५४ ✓	
	४७४		०-४६ ✓ १०१०	८-४३ ✓	२१८९	६-४६ ✓	
	४७५		०-६६ ✓ १०११	३-५७ ✓			

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा

क्रमशः पृष्ठ —(२)— पर

Executive Engineer
N.H Division PWD Etawah

२९९०	५-४३
२१९९	६-५२
३३७	५-६५
३३८	६१-५४
३३९	२३-५६
३४१	२९-०६
४४७	३-४८
४४८	१२-५३
३४०	१७-४०
४१९	६-२७
८६१	९-६८
४६	५७२-५२
१६२।१	६-३६
१६३	८-८०
१६४	६-४६
१६५	६-४९
१६६	१०-६९
१६७	२१-६३
१६८।१	९-४९
१६९। २	३-३७
१७०	८-८०
१७१	९-३७
१७२	८-६३
१७३	५-५४
१७४	५-५१
१७५	९-७७
१७६	१२-२३
१७७	१२-६०
१७८	८-२०
१८१	९-२८
१८२।२	४-७५
१८३।३	२-७५
१८२।४	१-७०
१८०	३-६५
१८१	४-९७
१८४-	२-६०
१८५	७-७२
१८६	६-३१
१८७।२	५-८३
१८८	१-२१
१८९	७-०९
१९०।१	१०-२०
१९१।१	४-८९
१९२।१	४-८३
१९३।१	११-८३
१९४	८-११
१९५	७-०६
१९६	९-८६
१९७	८-८८
१९८	५-५७
१९९	२-८०
२००	४-११
२०१	८-२८
४९	२९९-४६

ह० - घ० प्र० एम्ना
(पत्र बयान प्रमाण एम्ना)
बन बन्दोबस्त अधिकारी, आगरा

सील वि० - १७-५-६८

बन बन्दोबस्त अधिकारी, आगरा ।।

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा

Executive Engineer
N.H Division PWD Etawah

सतीश । १६-२